

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 540]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2016—पौष 3, शक 1938

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-44-23-2015-बीस-2.—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“8 राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रति पूर्ति धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए गए अनुसार प्रत्येक वर्ष दो किश्तों में, शैक्षणिक सत्र के नवम्बर माह में प्रथम किश्त और शैक्षणिक सत्र के अंत में मार्च माह में दूसरी किश्त की जाएगी.”

No. F 44-23-2015-XX-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) and (2) of section 38 of the Right of Children to free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Right of Children to free and Compulsory Education Rules, 2011, namely;—

AMENDMENT

In the said rules,—

For rule 8 the following rule shall be substituted namely :—

“8. Reimbursement of per-child expenditure by the State Government Reimbursement under sub-section (2) of Section 12 read with sub-section (2) of Section 7 shall be made in two instalment every year, first in the month of November of academic session and the second in the month of March, end of academic session as decided by the State Government from time to time.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रमोद सिंह, उपसचिव.